TOPIC – एकात्मक एवं संघात्मक पद्धति
Unitary and Federal Methods

B.A., Paper 2.

Date – 30.04.2020

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.)
Ramgarh Mahila College Sasaram

एकात्मक शासन व्यवस्था

एकात्मक पद्धति वह है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है। एकात्मक शासन में देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक व्यक्ति या समूह में ~~निहित~~ केंद्रित होती है।

एकात्मक शासन की विशेषताएं :–

1. शक्तिशाली केंद्र – स्थानीय सरकारों का स्वरूप एवं शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं।
2. इकहरी नागरिकता – केवल केंद्र की नागरिकता।
3. संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं – केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजन नहीं।
4. प्रशासन एवं उसके संगठन में एकता एवं सरलता,
5. राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल रहती है।
6. आपातकालीन स्थिति के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त है।
7. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या से छोटे देशों के लिए उपयुक्त है।

Scanned with CamScanner

एकात्मक शासन में निम्न दोष पाए जाते हैं :-

1. केंद्रीय सरकार को निरंकुश होने का भय - शक्तियों के केंद्रीयकरण के कारण निरंकुशता की भावना पनपने लगती है।
2. राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ - जनता की सार्वजनिक कार्यों में रुचि कम होने लगती है।
3. अक्षम और अकुशल शासन
4. स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा क्योंकि केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक होता है।
5. एकात्मक शासन व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियां बढ़ जाती हैं।
6. बड़े विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है।

संघात्मक शासन :-

संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन कर दिया गया हो। शक्ति के विभाजन सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है।

विशेषताएं :-

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. न्यायपालिका की सर्वोच्चता - सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करता है।
3. संघात्मक राज्य में संप्रभुता अविभाज्य होती है।
4. दोहरी नागरिकता का प्रावधान - एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार जहां वह निवास करता है दोनों जगह का नागरिक होता है।
5. राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य होता है।

Scanned with CamScanner

6. वृहद राष्ट्रों के लिए उपयुक्त होता है।

संघात्मक व्यवस्था के दोष में आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता प्रबल है।

इकाइयों (राज्यों) ~~की स्वायत्त~~ पर केंद्रीय नियंत्रण कम होने की वजह से राज्यों के अलगाव होने की आशंका बनी रहती है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एक दूसरे पर उत्तरदायित्व का दोषारोपण करते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना कम रहती है। राज्यों के साथ सीमा विवाद बना रहता है।

एकात्मक और संघीय प्रणाली में अंतर :-

1. शक्तियों के विभाजन का अंतर
2. प्रांतीय सरकारों की स्थिति में अंतर
3. नागरिकों की स्थिति में अंतर
4. संविधान के रूप में अंतर -

एकात्मक - लिखित, अलिखित, कठोर या लचीला किसी भी प्रकार का संविधान हो सकता है। जबकि संघ राज्य एक ऐसा लिखित समझौते का परिणाम होता है जिसे कोई पक्ष अकेला न बदल सके।

5. सरकार के अंगों की शक्ति में अंतर होता है।

Scanned with CamScanner